न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 84/2020 **RCMS 2020/00170**

वादीगण

1. शैतानसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि .भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)
2. पटवारी, पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री तहसीलदार कुचामनसिटी एवं पटवारी हल्का रूपपुरा।

आदेश

दिनॉक :– 28-10-2020

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 12/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा गै.मु.तालाब राजाहरिसिंह की खुदकाश्त भूमि अवस्थित रही। यह भूमि राजस्थान लैण्ड रिफोर्मस एण्ड रिजमशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 के तहत कुचामन जागीरदार हरिसिंह जी की जागीर अधिग्रहण की तिथि को खुदकाश्त दर्ज होने से स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उक्त खातेदारी राजस्थान आर.टी.एक्ट 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही प्राप्त हो गई थी जिसका अंकन बंदोबस्त सम्वत 2008 में किया गया है, तत्पश्चात प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2010–13 में उक्त भूमि राजा हरिसिंह जी की खातेदारी में दर्ज रही है, इस प्रकार अधिकार अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2012 जो वर्ष 1955 होता है अर्थात दिनॉक 15.10.1955 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व ही राजा हरिसिंह जी की [illegible] दर्ज रही है। राजा हरिसिंह के स्वर्गवास के बाद उक्त खसरा [illegible] की खातेदारी में दर्ज रहा, ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा [illegible] 16 बीघा 16 बि[illegible] द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर 272 र[illegible] 0.02 हैक्टर, खस[illegible]र 273 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 2.72 हैक्टर दर्ज किये गये, प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 272, 273, 274 प्रार्थी के ,खातेदारी कब्जाशुदा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गत खसरा नम्बर 12/1 के पूर्व दिशा में गत खसरा नम्बर 73/12/1 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा गै.मु.इमारत अवस्थित रही है, ग्राम पनवाड़ी में द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो व राजस्व अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश एवं बिना मौके की जांच किये ही गत खसरा नम्बर 12/1 नवीन खसरा नम्बर 272, 273, 274 के चारों तरफ गलत रूप से खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म गै.मु.पाल नक्शे में तरमीम कर दी तथा राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म गै.मु.पाल दर्ज कर अशुद्ध प्रविष्टि कर दी गई जबकि भू–प्रबन्ध से पूर्व पृथक से गै.मु.पाल दर्ज नही थी गै.मु.तालाब ही था, जिसका संशोधन कराया जाना प्रार्थी को आवश्यक है, वर्तमान खसरा नम्बर 275 गत खसरा नम्बर 12 मिन से बना है, जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है, गत खसरा नम्बर 12/1 के पूर्व दिशा में सींव जोड़ खसरा नम्बर 73/12/1 अवस्थित रहा है, गत खसरा नम्बर 12/1 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 12 मिन कभी भी नही रहा, परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत रूप से वर्तमान खसरा नम्बर 273 को गत खसरा नम्बर 12 मिन का भाग बताकर पूर्व, उत्तर व दक्षिण दिशा में गै.मु.पाल खसरा नम्बर 275 नक्शे में तरमीम कर खतौनी में दर्ज कर दी है जो एक लिपीकीय त्रुटि है, गत खसरा नम्बर 12/1 के तत्कालीन खातेदार द्वारा तालाब को गहरा करवाया गया तब उससे निकलने वाली मिट्टी को पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 12/1 के सींवा जोड़ पड़ौस में स्थित खसरा नम्बर 12 मिन में मिट्टी डाली गई एवं खसरा नम्बर 12/1 के दक्षिण दिशा में अन्य खातेदारान की भूमि आई हुई थी इसलिए तालाब को गहरा कराने में उठाई गई मिट्टी खसरा नम्बर 12/1 मे ही डाली गई है, ताबाल के पूर्व दिशा में मिट्टी खसरा नम्बर 12/1 में ही डाली गई क्योंकि गत खसरा नम्बर 12/1 के पूर्व दिशा में सींव जोड़ गत खसरा नम्बर 73/12/1 गै.मु.इमारत स्थित है इसलिए राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 12/1 तालाब में पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 275 की भूमि होना गलत अंकित किया गया है, खसरा नम्बर 275 गै. मु.पाल गत खसरा नम्बर 12 मिन से बनी होना बताया गया है खसरा नम्बर 273 (गत खसरा नम्बर 12/1) के पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 12 स्थित रहा है परन्तु खसरा नम्बर 275 (गत खसरा नम्बर 12 मि.) का किया गया अंकन एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरूस्त करवाया जाना प्रार्थी को आवश्यक है। अप्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी खसरा नम्बर 272, [illegible]74 के पूर्व,उत्तर एवं दक्षिण दिशा में किये गये राजस्व नक्शें में [illegible] प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने की धमकियॉ दे रहा है तथा प्रार्थी के [illegible] पक्के निर्माण को हटाने की धमकी दे रहा हे इसलिए राजस्व नक्शें व खतौनी में कि[illegible] गये गलत इन्द्राज दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है, खसरा नम्बर 272, 273, 274 के पूर्व, उत्तर व दक्षिण दिशा में जो राजस्व नक्शे में गलत रूप से पाल का अंकन तरमीम किया गया है उसे प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है जो परिशिष्ट "क" है जिसे अंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बताया गया है। प्रार्थी की प्रार्थना है कि ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 12/1 वर्तमान खसरा नम्बर 272, 273, 274 के पूर्व, उत्तर व दक्षिण दिशा में राजस्व नक्शे में दर्ज किस्म गै.मु.पाल खसरा नम्बर 275 परिशिष्ट "क" में दर्शित 'A' भाग रकबा 0.3948 हैक्टर व 'B' भाग रकबा 0.2852 हैक्टर कुल रकबा 0.6800 हैक्टर की अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई दिनॉक 25.09.2020 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई की जाकर प्रार्थना–पत्र में संशोधित किये जाने हेतु स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त संशोधित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की प्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 12/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा गै.मु.तालाब सम्वत 2008 की मिसल बन्दोबस्त में राजा हरिसिंह की खातेदारी में दर्ज है राजा हरिसिंह के स्वर्गवास पश्चात उक्त खसरा नम्बर 12/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा गै.मु.तालाब की खातेदारी राजा प्रतापसिंह के नाम दर्ज हो गई, भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 12/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा के नए खसरा नम्बर 272 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 2.68 हैक्टर खसरा नम्बर 274 रकबा 0.02 हैक्टर कायम किये गये है, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 272, 273, 274 की खातेदारी शैतानसिंह पुत्र हिंगलाजदान चारण के नाम दर्ज है, प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत बेचान खरीद किया जाना उल्लेखित है जो तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे, गत सेटलमेंट के नक्शे अनुसार गत खसरा नम्बर 12/1 के पूर्वी दिशा में गत खसरा नम्बर 73/12/1 गै.मु.इमारत दर्शित है, गत सेटलमेंट के नक्शे व जमाबन्दी में गै.मु. तालाब की पाल दर्ज नही है परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट में मौके के सर्वे अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म गै.मु.पाल राजकीय दर्ज की गई है जो राजस्व रेकार्ड में आज दिनॉक तक राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान खसरा [illegible]5 गत खसरा नम्बर 12 मिन से बनाया गया है, गत सेटलमेंट [illegible] 12/1 के पूर्वी दिशा में सींव से चिपता हुआ ही खसरा नम्बर 73/12 [illegible] मु.इमारत दर्शित है एवं 12 मिन पश्चिम में दर्शाया गया है, राजस्व अभिलेख अ[illegible]र वर्तमान खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर गै.मु.पाल राजकीय दर्ज है यदि राजकीय भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जाता है तो उसे बेदखली किये जाने के प्रावधान एल.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आर.एक्ट 1956 की धारा 91 में है, राजस्व अभिलेख अनुसार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजकीय हित सुरक्षित रखते हुए न्यायोचित निर्णय फरमावें।

प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी खाता संख्या 126 एवं 1 सम्वत 2076–2079 वाके पनवाड़ी की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की नकल, सम्वत 2008 खतौनी बन्दोबस्त की नकल, नक्शा ट्रेस किश्तवार सन 1986–87 की नकल, नक्शा ट्रेस किश्तवार सन 1947 की नकल एवं परिशिष्ट "क" की प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रकरण में पक्षकारान अधिवक्ता एवं राजकीय पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व विभाग का परिपत्र दिनॉक 20.12.1995 एवं निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

धारा 136– गलतियों का सुद्विकरण–भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रिती से शुद्ध कर सकेगाा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख ले ! परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो !

इस सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1995 एवं इस परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक / राजस्व / (ग्रुप–6) विभाग राज.16 / 92 / 26 दिनॉक 20.12.1995 जो मूलतः धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 से जुड़ा है व समस्त संभागीय आयुक्तगण व जिला कलक्टर्स को संबोधित है को यहॉ उल्लेखित किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है :–

" विषयः राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 में हितार्थ उद्देश्य। प्रेषित : समस्त संभागीय आयुक्तगण। समस्त जिला कलेक्टर्स। [illegible] भू [illegible] (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1955 (सुविधा हेतु जिसको स[illegible] रही है) दिनांक 22. 11.95 से लागू हो [illegible] प्रबंध कर्मचारी / अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवाय चक / चारागाह या इसके विपरीत सिवाय चक चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई है, जिनसे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढ़ी है और कब्जे के आधारपर ऐसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संशोधन के द्वारा धारा 122 को संशोधित किया गया, धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया औरा धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुश लग सके तथा समरी ट्रायल से उपरोक्त गलतियों को ठीक किया जा सके उपरोक्त संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार स्थिति बनती है :– भू प्रबंध कार्यवाही बंद होने के पश्चात् जो मामले भू प्रबंध अधिकारी के पास अनिर्णीत रह जाते हैं, वे भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) को हस्तान्तरित कर दिये जाते है। ऐसे मामलें भू अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णित किये जायेंगे।

2. भू प्रबंध के दौरान जो लिपिकीय एवं अन्य गलतियां भू प्रबंध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई है, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भू अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करे।

3. यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती हैं, तो उन्हें एस.डी.ओ. को भेजेंगे। पक्षकारों को हैतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू अभिलेख अधिकार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

4. सभी जिला कलेक्टर भू अभिलेख अधिकारी है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (183) रेव/बी/56 दिनांक 17–9–56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी हुई है। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां है। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

5. भू प्रबंध के दौरान य[illegible] किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना किसी [illegible] खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/[illegible] भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू राजस्व अधि[illegible]यम की धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

6. यदि किसी सिवायचक या राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

7. भू प्रबंध कार्यवाही बंद होने के बाद भू अभिलेख संधारण का दायित्व भू अभिलेख अधिकारी का है और इस दौरान भी यदि उपरोक्त प्रकार की गलतियां होती है तो मद संख्या (3) के अनुसार उनके शुद्धिकरण के अधिकार भी भू अभिलेख अधिकारी को होंगे।

8. किसी भी प्रकार की गलती के सुधार के पहले प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। जहां आवश्यक ही लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) को भी राज्य हित की सुरक्षा के लिए पक्षकार बनाना होगा।

9. भू प्रबंध के दौरान हुई गलतियों का सुधार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा लेकिन धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा।

10. धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगे बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी, उनके अनुसार ही गलतियों को संशोधित कर सही कर सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की गलतियां या तो अधिकारी के स्वयं ध्यान में आ सकती है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी द्वारा ध्यान में लाई जा सकती है अथवा पक्षकारों द्वारा लाई जा सकती है। कृपया राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं को निर्धारित प्र[illegible] विचार विमर्श करे और यह स्पष्ट कर दें। [illegible] का सुधार करना नियमित वाद का विकल्प नहीं है, [illegible] गलतियों के सुधार के लिए की गई है, जहां परस्पर खातेदारी का बिना वहां उन्हें सक्षम न्यायालयों से ही निर्णित कराना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रमुख सचिव"

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

13– उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजाता को बदलने का आदेश ना हो। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू प्रबंध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं होगा।

प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि भू प्रबंध विभाग को नये इन्द्राज करने, पुराने इन्द्राज को विलोपित करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, जिसके कि अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है, भू प्रबंध कार्यवाही पूर्ण हो जाने एवं रिकार्ड प्राप्त हो जाने के बाद धारा 136 में कार्यवाही करने को सक्षम है, ऐसे संशोधन के आदेश पारित कर सकता है एवं इसके समर्थन में 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8, 2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332, 2015 आर.बी.जे. 34, के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। इन दृष्टांतों को भी उद्धरत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है :–

(ए) 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व राजस्थान व राजस्थान व अन्य (उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136-

Wrong entry made during settlement opreation can be corrected by Land Record Officer.

(बी) 2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332 : गिरीराज बनाम भगवत पृष्ठ 332 : गिरीराज बनाम भगवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

SETTLEMENT ENTRIES—Settlement Authorities requried to repeat existing entries—Settlement Authorities are requried to repeat entries in existing jamabandies and could not alter entries without order of competent court. In this case ancestral land was entered in the name of three brothers by the Settlement Officer at the time of settlement. The first appellate court was not justified in setting aside the justified in the setting aside the entries made by Settlement Officer without any basis. Revision accepted.

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(सी) 2015 आर.बी.जे. पृष्ठ 34 नगर विकास न्यास उदयपुर बनाम रतनलाल व अन्य राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनॉक 20.12.1995 के अनुसार यदि सेटलमेंट के दौरान क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना कोई खातेदारी या गैर खातेदारी भूमि सिवाय चक राजकीय भूमि इन्द्राज कर दी गई हो तो संशोधन 1995 धारा 136 के बाद भी सही की जा सकती है।

(डी) 2006 RRD 275 फूलचन्द बनाम श्रीमती शीला जब तक किसी सक्षम न्यायालय का आदेश न हो तो भू–प्रबन्ध विभाग को पिछले सेटलमेन्ट के इन्द्राजो को वैसे ही पुनः दर्ज कर देना चाहिये जब तक कि उत्तराधिकार या विक्रय के कारण कारित परिवर्तन न हो गया हो। इसलिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी भी भूमि को बिना किसी अधिकार के सिवाय चक दर्ज करना निरस्तनीय है।

(ई) 2017 RLW(3) 2025 राज्य सरकार बनाम उदयलाल ने यही मत व्यक्त किया गया है कि " The Law Regarding the Repatition of the entries at the time of settlement is also well settled as fair down in the case of Tehsildar Girwa v/s Bhagwan & ors. 2001 (4) WLC (Reg) 387 where it was laid down that settlement officer is not Empowerd to Suitute the entries in the Revenue Record.

अप्रार्थी द्वारा बहस दौरान यह भी बताया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था, उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अभिलेखीय स्थिति सम्वत 2008 से भू–प्रबन्ध पश्चात तक निम्न अनुसार पायी गई –

क्र.सं.	सम्वत	ख.नं.	रकबा	किस्म	खातेदार का नाम
1	2008–2027 प्रथम मिसल बन्दोबस्त	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	राजा हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन जागीरदार खुदकाश्त
2	2012–2015	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	राजा हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन जागीरदार
3	2016–2019	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	राजा हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन
4	2020–2023	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	राजा हरिसिंह जी ठिकाना कुचामन
5	2024–2027	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	राजा हरिसिंह पुत्र नाहरसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
6	2028–2031	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	श्री प्रतापसिंह खोले हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
7	2031–2034	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	श्री प्रतापसिंह खोले हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

8	2035–2038	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	श्री प्रतापसिंह खोले हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
9	2039–2042	12/1	16 बीघा 16 बिस्वा	गै.मु.तालाब	श्री प्रतापसिंह खोले हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
10	2047–2050	272	0.02 है.	गै.मु.तालाब	श्री प्रतापसिंह खोले हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
		273	2.68 है.	गै.मु.तालाब	
		274	0.02 है.	गै.मु.तालाब	
		275	1.33 है.	गै.मु.पाल	राजकीय खाता सं. 1 राज. सरकार
11	2052–2055	272	0.02 है.	गै.मु.तालाब	श्री प्रतापसिंह खोले हरिसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
		273	2.68 है.	गै.मु.तालाब	
		274	0.02 है.	गै.मु.तालाब	
		275	1.33 है.	गै.मु.पाल	राजकीय खाता सं. 1 राज. सरकार
12	2056–2059	272	0.02 है.	गै.मु.तालाब	श्रीमति प्रेमकुमारी बेवा प्रतापसिंह कौम राजपूत सा. कुचामन खातेदार
		273	2.68 है.	गै.मु.तालाब	
		274	0.02 है.	गै.मु.तालाब	
		275	1.33 है.	गै.मु.पाल	राजकीय खाता सं. 1 राज. सरकार

सम्वत् 2068 से 2071 तक उपरोक्तानुसार प्रविष्टियां दर्ज चली आ रही है तत्पश्चात खसरा नम्बर 272, 273, 274 में निम्न प्रकार परिवर्तन दर्ज है जो जरिये बेचान हुये है – सम्वत 2072–2075 खसरा नम्बर 272 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.तालाब, खसरा नम्बर 273 रकबा 2.68 हैक्टर गै.मु.तालाब, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.तालाब रामूराम पुत्र सालाराम कुमावत निवासी कुचामनसिटी खातेदार तथा खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर गै.मु.पाल पूर्ववत राजकीय दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत 2076–2079 खसरा नम्बर 272 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.तालाब, खसरा नम्बर 273 रकबा 2.68 हैक्टर गै.मु.तालाब, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.02 हैक्टर गै.मु.तालाब शैतानसिंह पुत्र हिंगलाजदान चारण कुचामनसिटी जरिये बेचान नामान्तरकरण संख्या 622 दिनॉक 21.08.2018 तथा खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर गै.मु.पाल पूर्ववत राजकीय दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अप्रार्थी द्वारा बहस दौरान यह भी कथन किया है कि राजकीय हित सुरक्षित रखते हुए न्यायोचित आदेश प्रदान करने की कृपा करावें, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार स्पष्ट प्रमाणित है कि भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 275 रकबा 1.33 हैक्टर गै.मु.पाल राजकीय दर्ज नही थी जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी न्यायालय के आदेश के अपने स्तर पर ही नई प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी गई एवं उक्त गै.मु.पाल जो कि भू–प्रबन्ध से पूर्व ही गै.मु.तालाब का अभिन्न अंग था जिसे गै.मु.तालाब में से पृथक कर गै.मु.पाल दर्ज करते हुए नया खसरा नम्बर 275 कायम कर दिया एवं राजकीय दर्ज कर दी गई।

उक्त विधिक प्रावधानों के अलावा वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि इसी ग्राम पनवाड़ी का एक अन्य खसरा नम्बर 67/12 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भू–प्रबन्ध से पूर्व गै.मु.तालाब निजि खातेदारी में दर्ज था जिसमें भी भू–प्रबन्ध पश्चात खसरा नम्बर 113, 114, 334/216 गै.मु.तालाब के अलावा खसरा नम्बर 115, 112 गै.मु.पाल नये पृथक से कायम किये गये है परन्तु इसमें गै.मु.पाल को गै.मु.तालाब के साथ–साथ खातेदारी में दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी की गै.मु.पाल को राजकीय दर्ज कर दिया गया है।

हस्तगत प्रकरण के आद्योपान्त अवलोकन एवं परीशीलन से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि जो प्रथम दृष्टया ही परिलक्षित है एवं अप्रार्थीगण जो कि हितबद्ध पक्षकार हैं के द्वारा इसकी स्वीकारोक्ति अपने जवाब में की गई है कि :–

1. भू–प्रबन्ध से पूर्व गत खसरा नम्बर 12/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा सम्पूर्ण गै.मु. तालाब ही खातेदारी में दर्ज था, गै.मु.पाल पृथक से दर्ज नही थी, भू–प्रबन्ध पश्चात गै.मु.पाल जो कि तालाब का ही अभिन्न अंग है को पृथक से नया खसरा नम्बर 275 कायम कर राजकीय दर्ज कर दिया गया।

2. मिलान क्षेत्रफल में गै.मु.पाल के खसरा नम्बर 275 को गत खसरा नम्बर 12 मिन राजकीय का भाग दर्शाया गया है, जो कि नक्शे एवं मौके पर तालाब के पश्चिम दिशा में, जबकि तालाब की पाल तो नक्शे में चारो तरफ दर्शायी गई है जिसके उत्तर तथा दक्षिण में खातेदारी भूमि [illegible] पूर्व में गै.मु. इमारत है। इससे स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान खसरा नम्बर 275 का सम्पूर्ण रकबा गै.मु.पाल गत खसरा नम्बर 12 मिन राजकीय [illegible] नहीं रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested

3. उक्त त्रुटि को संशोधिन किये जाने से राजकीय या खातेदारी भूमि क्षेत्रफल में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि भी नही होगी।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

अतः उक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते है कि गै.मु. पाल जो कि भू–प्रबन्ध से पूर्व गै.मु.तालाब का ही हिस्सा था जिसे राजकीय दर्ज किया गया है को पूर्ववत्त प्रार्थी की खातेदारी में शुद्ध प्रविष्टियों के अंकन किये जाने के उद्देश्य से संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार खसरा नम्बर 275 का रकबा 0.68 हैक्टर जो कि गै.मु. तालाब का ही हिस्सा था जिसे गै.मु.पाल दर्ज किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी में से कम कर राजकीय दर्ज कर दिया गया था को पूर्ववत प्रार्थी की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 273 रकबा 2.68 हैक्टर जिसका भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्रफल पूरा करने के उद्देश्य से 0.68 हैक्टर बढ़ाया गया था को पूर्ववत राजकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार अभिलेख में संशोधित प्रविष्टियों का अंकन किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 28·10·2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:52 IST
Reason: SelfAttested